संख्या-87 /2026/1663/26-3-2026-2034342

प्रेषक,

प्रवीण मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः08 जुलाई, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-639/स0क0/विकास/ए0वि0यो0/कार्य योजना/01/2026-27, दिनांक 10.6.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य हेतु कुल धनराशि रू0 2626.98 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्थान	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	कानपुर नगर	सचेण्डी	20.00
		ग्राम- बीहुपुर	20.00
3		ग्राम- श्रीनगर	20.00
4		ग्राम- मढ़ा	12.22
5		ग्राम- अनूपुर	20.00
6		ग्राम- रार	16.03
7		विकास खण्ड सरसौल के ग्राम ऐमा	20.00
8		ग्राम- उमराव खेड़ा	20.00
9		ग्राम बबुरिहा	20.00
10		ग्राम नारायणपुर	20.00
11		ग्राम शिवपुर / शिवरामपुर (तहसील कानपुर)	20.00

12	उन्नाव	ग्राम पंचायत दलेलपुर मजरा चकबरेशर	20.00
13		ग्राम पंचायत गलरापुर मजरा बाबा खेड़ा	20.00
14	प्रयागराज	भैंसाही	20.00
15	मऊ	ग्राम सभा खड़ार गाड़ी (तुर्क गड़वा)	20.00
16		बहरवार	20.00
17		पिन्डोहरी	13.22
18		ग्राम गालिबपुर	20.00
19		ग्राम हाफिजपुर	20.00
20		ग्राम सौरसवाँ	16.75
21	सिद्धार्थ नगर	विकास खण्ड- डुमरियागंज की ग्राम पंचायत तेंदुहार	20.00
22		ग्राम पंचायत खानतारा	20.00
23		ग्राम- डडवा	20.00
24		ग्राम- महुआ पाठक	20.00
25		विकास खण्ड- डुमरियागंज के ग्राम- सेमरी	20.00
26		विकास खण्ड- मिठवल के ग्राम- कठोलवा	20.00
27		विकास खण्ड- बर्डपुर के ग्राम खैराटी	20.00
28		विकास खण्ड- मिठवल के ग्राम कपियाकलां	20.00
29	देवरिया	विधान सभा सलेमपुर के ग्राम तिलौली	20.00
30		ग्राम इन्दौली	20.00
31	आजमगढ़	ग्राम - सेवटा के शंकर भगवान के मन्दिर से श्री अशोक राम के घर तक 300 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	20.00
32		ग्राम सभा- सलेमपुर	20.00
33	कुशीनगर	विकास खण्ड- पडरौना की ग्राम सभा जंगल पचरूखिया	20.00
34		ग्राम पंचायत - पडौली	20.00
35		कठकुइया के कटया बाज़ार टोला में शिवकली के घर से श्री प्रसाद के घर तक २०० मी.	17.76
36		पटेरा खुर्द में बुद्ध बिहार से सरपतही बुजुर्ग तक 250 मी.	19.98
37		सुसवालिया में भारत प्रजापति के घर से मुखा हरिजन के घर तक 150 मी.	15.71
38	बाराबंकी	ग्राम – नरौली	20.00
39		ग्राम - माधोपुर	20.00

40		ग्राम : टिकरिया	20.00
41		विकास खण्ड - सिरौलीगौसपुर, ग्राम – किठूरी	20.00
42	संतकबीर नगर	विकास खण्ड- नाथनगर के ग्राम- नीबा होरिल	20.00
43		नाथनगर	20.00
44		पड़रहा	20.00
45	अम्बेडकर नगर	विकास खण्ड- जहांगीर गंज की ग्राम पंचायत शंकर पुर बरजी	20.00
46		ग्राम पंचायत मुबारकरपुर पीकार	20.00
47		विकास खण्ड- जहांगीर गंज की ग्राम पंचायत तेन्दुवाई कला	20.00
48		ग्राम पंचायत तेन्दुवाई खुर्द	20.00
49	बस्ती	ग्राम- चेनुआ मेहरई	20.00
50		ग्राम- एकमा	20.00
51		ग्राम पंचायत पिपरौला	20.00
52		ग्राम पंचायत बहादुरपुर	20.00
53		ग्राम - दुहवा	20.00
54		ग्राम – पिकौरा	20.00
55		ग्राम - कोइलपुरा	20.00
56		ग्राम- दुबखरा	20.00
57	अयोध्या	विकास खण्ड- तारून के ग्राम- महराई मोहम्मदपुर	20.00
58		ग्राम- जलालपुर भग्गू	20.00
59	फतेहपुर	ग्राम - मवैया वि.खं.- मलवा	14.93
60		शाहजहाँपुर	20.00
61	बलरामपुर	ग्राम- मजगवां	20.00
62		ग्राम- धर्मपुर	20.00
63	गाजीपुर	ग्राम बरहीं मलिकनाथपुर	20.00
64		ग्राम पंचायत- कौला	20.00
65		ग्राम पंचायत- माखनपुर	20.00
66	कुशीनगर	विकास खण्ड सुकरौली की ग्राम सभा बगरा देउर	20.00
67		विकास खण्ड- मोतीचक की ग्राम सभा तुर्कहा	20.00
68	जौनपुर	ग्राम - बडनपुर, में इण्टरलॉकिंग एवं सड़क, नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में	20.00

69		ग्राम - टिकरीकला, में इण्टरलॉकिंग एवं सड़क, नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में	20.00
70		ग्राम - मुस्तफाबाद, में इण्टरलॉकिंग एवं सड़क, नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में	20.00
71		काजीहद	20.00
72		सिधवन	20.00
73		सुरेरी	20.00
74		केड़वारी	20.00
75		ग्राम महुईपुरी	20.00
76	हरदोई	ग्राम पंचायत- शाहपुर बिनौरा	18.71
77	ललितपुर	ग्राम पंचायत धोबनखेरी	16.95
78		ग्राम पंचायत अण्डेला	20.00
79		ग्राम - पिसनारी	20.00
80		ग्राम - बम्होरीकला	19.97
81	बांदा	पिपरहरी	20.00
82		करतल	20.00
83	अमेठी	दिलावलगढ़	20.00
84	चन्दौली	गढ़वा उत्तरी	13.93
85		मुरारपुर	9.81
86	कन्नौज	गोरनपुर्वा	49.98
87		चौधरियापुर	49.96
88		दरियापुर पट्टी	49.96
89		रंगीयनपुर्वा (सरायमीरा देहात)	49.91
90		खुर्रमपुर	49.96
91		देवधरापुर	49.98
92		तेरारागी	49.97
93	सोनभद्र	ग्राम- नधिरा के 10 स्थानों पर	50.00
94	बलिया	ग्राम- करमपुर	20.00
95	बलिया	ककरासो	20.00
96	बलिया	विकास खण्ड- बाँसडीह की ग्राम पंचायत- बरियारपुर	20.00
97	कुशीनगर	दोघरा	20.00
98	बस्ती	मुड़वरा	20.00
99		बांसापार	20.00
100		विकास खण्ड- बहादुरपुर के ग्राम- कम्हरिया	20.00
101		विकास खण्ड- बनकटी के ग्राम- लगुनही	20.00
102		विकास खण्ड- बनकटी के ग्राम- गुदी	20.00
103		विकास खण्ड- गौर के ग्राम- पेडार	20.00
104		विकास खण्ड- गौर के ग्राम- असनहरा	20.00

105		मिश्रोलिया	20.00
106		विकास खण्ड- गौर के ग्राम- धनघटा	20.00
107	संतकबीर नगर	गंगौली	20.00
108		कुस्मीडाडी	20.00
109		इमिलडीहा	20.00
110		हावपुर भड़ारी	20.00
111		तामा	20.00
112		टाण्डा	20.00
113	अम्बेड़कर नगर	पूरेदरवार	20.00
114		बेनीपुर	20.00
115	कुशीनगर	भजौली खुर्द	20.00
116		पिपरौली खुर्द	20.00
117	ललितपुर	विजयपुरा	20.00
118	महाराजगंज	बरगदवां उर्फ गनवरिया	20.00
119		डोमा	20.00
120	मुरादाबाद	ग्राम- महलकपुर निजामपुर	20.00
121		ग्राम-सदरपुर मलतबपुर	20.00
122	सीतापुर	सरोसा	20.00
		कुल योग	**2625.69**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4225-01-789-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0-3000.00 के सापेक्ष उपरोक्त प्रस्तर-2 की तॉलिका के कॉलम-4 के अनुसार धनराशि रू0 2625.69 लाख (रू छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) के प्रबन्ध निदेशक से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है, तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त

कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(6) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र –जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(10) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21

जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चि त किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना में स्वीकृत कार्यों/लागत से विचलन की दशा में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त 2014 में अंकित प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था , निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं जनपदीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष टेण्डर लागत के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, समाज कल्याण एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्ट/सी0पी0एम0 चार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(19) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रत्येक कार्यों की आगणन की शुद्धता/लागत/अनुसूचित जातियों का प्रतिशत एवं अन्य मानक से संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे।

(21) कतिपय जनपदों के ग्रामों में इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन मानक आगणन से अधिक लागत के है, जिसमें एक से अधिक कार्यो का उल्लेख है। उक्त स्थिति में मानक आगणन की धनराशि की सीमा तक का कार्य चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर समन्वय कर कराने का उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(22) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 26,25,69,000/- (रू छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4225-01-789-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by PRAVEEN MISHRA
Date: 08-07-2026 17:27:46

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 08-07-2026 17:50:56

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।